

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2544

दिनांक 28/11/2022

प्रार्थी :-

1.टीकमाराम पुत्र हिमथाराम
जाति जाट
निवासी गांधीनगर (दीनगढ़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.नथूखान पुत्र आचार के का.मु. :- भूराखान, सहामीर,
लखा पि. नथू खान 2.खमीशा पुत्र नूरा 3.कमाल
4.जमाल 5.ताहर पि.सफी, जातियान मुसलमान
6.चिमनाराम पुत्र हिमथाराम 7.वन्नाराम 8.धनाराम पि.
चिमनाराम, जातियान जाट, निवासी गांधीनगर
9.शेहदादा पुत्र शेहर मोहम्मद शैयद, जाति मुसलमान,
10.मगदान 11.बाबूदान पि.वेणीदान, जाति चारण,
निवासी आलमसर 12.तोगाराम पुत्र हिमथाराम,
जाति जाट, निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 16/2022

दिनांक : 25.11.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा गांधीनगर के खेत खसरा सं. 854/464 रकबा 83.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/2545 to 2548

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी टीकमाराम
3. विप्रार्थीगण नथूखान के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 28/11/2022



(भागीरथ शर्मा II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन